

राजरणान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

क्रमांकः एफ4 ()आकाशि / नि.सं. / 2021 Quita 28.06.2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अभिनियम, 1909 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अचतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2021–22 से 2023–24 (तीन सत्र) के लिए रनातक रतर पर नवीन निजी महाविधालय संगालन हेत् अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निप्नालिखित शर्मा क

महाविद्यालय का नाग	राग्वद्धक विश्वविद्यालय	संचालित रांकाय व विषय
परगानन्द शर्मा रगृति महाविद्यालय	जय नारायण व्यास	अनिवार्य विषयों सहित
		रनातक रतर पर-
कुआ, सुभाष नगर-॥, एम्स रोड,	जोधपुर।	विज्ञान संकाय-
जोधपुर-342008		वी.एरासी (ऑनर्स)
		एयरक्रापट गेन्टीनेन्स।
	परमानन्द शर्मा रमृति महाविद्यालय पता– वैद्य परमानन्द जी का कुआ, सुभाष नगर–॥, एम्स रोड,	महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय परमानन्द शर्मा रमृति महाविद्यालय ज्यास पता— वैद्य परमानन्द जी का विश्वविद्यालय, कुआ, सुभाष नगर—॥, एम्स रोड, जोधपुर। जोधपुर—342008

- संस्था अस्थायी अनापित्त प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- 2. संस्था सत्र 2024-25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापित प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार खंय की भूमि पर खंय के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा साविध जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियां को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुरत्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा ।
- 9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-2022 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- 10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अविध में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- 11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल www.aishe-nic.in पर महाविद्यालय को रजिरटर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।
- 12. संस्था को भूमि का शैक्षणिक रूपान्तरण निर्धारित निकाय से प्राप्त करना होगा।
- 13. महाविद्यालय स्टाफ को वेतन का भुगतान वैंक के माध्यम से करना होगा तथा स्टाफ की नियमानुसार पी.एफ. कटौति की जाएगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं --

- 1. विशिष्ट सहायक, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
- कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Email: jnvuafs@gmail.com



JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

(AFFILIATION SECTION)

No.JNVU/Aca/Affl./2022/1/3

Dated:: 27.07. 2022

The Secretary
Shri Narayan Parmarth
Aushdhalay Samiti, Vaidhya
Parmanand Ji Ka Kua
Subhash Nagar – II AIIMS Road
Jodhpur.

Sub: New Temporary affiliation for the session 2022-2023

Sir.

With reference to your application form dated 29.06.2022 regarding grant of fresh temporary affiliation for the session 2022-2023 to your new college viz. Parmanand Sharma Smriti Mahavidyalaya, Vaidhya Parmanand Ji Ka Kua, Subhash Nagar, -II AIIMS Road, Jodhpur, it is to inform you that on the recommendations of the Inspection Committee, Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant permission for fresh temporary affiliation for the session 2022-2023 to start the following courses with the fulfillment of all the conditions laid down by the Syndicate which will be final on the college which has to be accepted by your institution for the Academic Session 2022-23. Moreover, the college will be bound to follow the University Act, Statute, Ordinance, State Government Rules:-

1. B.Sc. (Hons.) Aircraft Maintenance - One Section (60 seats)

You are, therefore, requested kindly to deposit Rs. 1,00,000/- as affiliation Charges as one time and Rs. 25,000/- per non-professional course per unit as annual affiliation fee and 18% GST EXTRA by RTGS/NEFT etc. in JNVU AFFILIATION FEES RECEIPT, ACCOUNT NUMBER - 05710100016033 Bank Name - Bank of Baroda Branch Name - University Campus City - Jodhpur IFSC Code: BARBOUNIJOD) for the current Academic Session i.e. 2022-2023 within Seven days from the date of this letter and send a copy of its receipt along with UTR/transaction number, otherwise penalty be charged as per rules. (mail ID jnvuafs@gmail.com)

REGISTRAR

Dated: 27.07.2023

No. JNVU/Aca/A/22/ 1/3

Copy to:-

1. The Secretary, UGC, New Delhi

2. The Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur.

3. The Dean, Faculty of Science

4. The Asstt. Registrar, Examination/Secrecy/Development Section.

The PS to Vice-Chancellor/Registrar.

ASSIT REGISTRATA